INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और ग्रामीण प्रवासनः शहरीकरण पर इसके प्रभाव

[1]पुष्पा साहु, [2]डॉ. संजीव कुमार
[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक
[1–2]विभागः अर्थशास्त्र, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का उद्देश्य रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करना है। अल्पकालिक रोजगार प्रदान करने से परे, इसके व्यापक उद्देश्य ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और आर्थिक स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम दीर्घकालिक अल्प–रोजगार और आय असुरक्षा को दूर करने के साथ–साथ नियमित वेतन पर रोजगार प्रदान करने और संपत्ति सृजन के माध्यम से ग्रामीण उत्पादक क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करता है। एमजीएनआरईजीए की परिचालन प्रणाली इन उद्देश्यों को मांग–आधारित, विकेंद्रीकृत और कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य रोजगार सृजन प्रणाली के माध्यम से व्यवहार में लाने के लिए बनाई गई है। इस शोध पत्र में एमजीएनआरईजीए के परिचालन तंत्र, इसके आर्थिक प्रभाव और संपत्ति सृजन एवं ग्रामीण अवसंरचना विकास में इसके योगदान का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि कैसे एमजीएनआरईजीए का रोजगार मॉडल प्रवासन के रुझानों को कम करने में मदद करता है और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक स्थिरता पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों की जांच की गई है।

मुख्य शब्दः एमजीएनआरईजीए, ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, संपत्ति सृजन, ग्रामीण प्रवासन, आर्थिक प्रभाव, वेतन संरचना, अवसंरचना विकास।

परिचयः

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), जो 2005 में लागू किया गया था, भारत में सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवनयापन को बेहतर बनाना और रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। यह सिर्फ तात्कालिक रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लंबी अवधि के लिए गरीबी, आय असमानता और आर्थिक असुरक्षा को कम करने का प्रयास करता है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी रोजगार गारंटी प्रदान करके स्थानीय अवसंरचना में सुधार करने और उत्पादक क्षमता को बढ़ाने पर जोर देता है। यह कार्यक्रम श्रमिकों को 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी देता है और स्थानीय संसाधनों के आधार पर संपत्ति निर्माण करता है। यह शोध पत्र एमजीएनआरईजीए के परिचालन तंत्र का विश्लेषण करता है, उसके आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करता है, और यह कैसे ग्रामीण प्रवासन को कम करने में मदद करता है और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक स्थिरता में योगदान करता है, इस पर विचार करता है।

एमजीएनआरईजीए के उद्देश्य और संचालन तंत्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उद्देश्य अल्पकालिक रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और आर्थिक स्थिरीकरण के व्यापक ढांचे में निहित हैं। यह अधिनियम दीर्घकालिक अल्प–रोजगार और आय असुरक्षा को दूर करने के साथ–साथ नियमित वेतन पर रोजगार प्रदान करने और संपत्ति सृजन के माध्यम से ग्रामीण उत्पादक क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करता है। एमजीएनआरईजीए की परिचालन प्रणाली इन उद्देश्यों को मांग–आधारित, विकेंद्रीकृत और

कानूनी रूप से लागू करने योग्य रोजगार सृजन प्रणाली के माध्यम से व्यवहार में लाने के लिए बनाई गई है।

नीतिगत दृष्टिकोण से, एमजीएनआरईजीए का उद्देश्य ग्रामीण आय को स्थिर करना, उपभोग के तरीकों को सुचारू बनाना और कृषि के ऑफ–सीजन या आर्थिक संकट के दौरान असुरक्षा को कम करना है। इन उद्देश्यों की प्रभावशीलता कार्य मांग पंजीकरण, समय पर कार्य आवंटन, मजदूरी वितरण और स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन जैसी परिचालन प्रक्रियाओं की दक्षता पर निर्भर करती है। इसलिए, जिला स्तर पर कार्यक्रम के आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए परिचालन तंत्र को समझना आवश्यक है (नटेसन और मराठे, 2017)।

रोजगार सृजन तंत्र

एमजीएनआरईजीए मांग–आधारित रोजगार सृजन तंत्र का अनुसरण करता है, जो इसे पहले की आपूर्ति–आधारित ग्रामीण रोजगार योजनाओं से अलग करता है। रोजगार चाहने वाले ग्रामीण परिवारों को ग्राम पंचायत को काम के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद पंद्रह दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है। इस समय सीमा के भीतर रोजगार प्रदान करने में विफल रहने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होती है, जिससे रोजगार गारंटी की कानूनी प्रकृति को बल मिलता है (ओशिमा, 1990)। एमजीएनआरईजीए के तहत कार्यों की पहचान और निष्पादन विकेंद्रीकृत है, जिसमें ग्राम पंचायतें योजना और कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। कार्यों का चयन स्थानीय विकास आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है और उन्हें अधिनियम में उल्लिखित अनुमत श्रेणियों के अंतर्गत आना चाहिए। इस विकेंद्रीकृत योजना तंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार सृजन स्थानीय संसाधन उपलब्धता और आजीविका आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिससे आर्थिक प्रासंगिकता और सामुदायिक भागीदारी दोनों में वृद्धि हो।

आर्थिक दृष्टि से, रोजगार सृजन तंत्र कृषि क्षेत्र में मंदी के दौरान मजदूरी रोजगार का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करके आय स्थिरीकरण में योगदान देता है। अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि एमजीएनआरईजीए की मांग–आधारित संरचना ने संकट–प्रेरित प्रवासन को कम करने और स्थानीय श्रम बाजारों में ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने में मदद की है, हालांकि इन प्रभावों की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों और कार्यान्वयन संदर्भों में भिन्न होती है।

वेतन संरचना और भुगतान प्रणाली

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत मजदूरी संरचना और भुगतान प्रणाली ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक कुशल और पारदर्शी मजदूरी तंत्र न केवल श्रमिकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करता है, बल्कि योजना के समग्र आर्थिक प्रभाव को भी मजबूत करता है।

वेतन संरचना और भुगतान प्रणाली के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:

- **वेतन निर्धारण:** एमजीएनआरईजीए के तहत मजदूरी का निर्धारण राज्य–विशिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार किया जाता है, जो कृषि या अकुशल श्रमिकों के लिए लागू होती हैं। इन मजदूरी दरों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी मानदंडों के साथ यह जुड़ाव ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी के शोषण से बचाने में मदद करता है और ग्रामीण श्रम बाजारों में मजदूरी का न्यूनतम स्तर स्थापित करता है।

- **भुगतान की आवधिकता:** इस अधिनियम के अनुसार, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य पूर्ण होने के अधिकतम पखवाड़े के भीतर किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, श्रमिकों को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाता है और उन ग्रामीण परिवारों के लिए आय की निश्चितता सुनिश्चित करता है जो अपनी दैनिक आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीए रोजगार पर निर्भर हैं।
- **वेतन भुगतान का तरीका:** पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, एमजीएनआरईजीए ने तेजी से बैंक और डाकघर आधारित मजदूरी भुगतान प्रणाली को अपनाया है। मजदूरी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। इस बदलाव ने ग्रामीण श्रमिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:** भुगतान प्रणाली में सुधार के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें निधि जारी करने में देरी, प्रशासनिक अक्षमताएँ, दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित बैंकिंग बुनियादी ढाँचा और डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों से संबंधित तकनीकी समस्याएँ शामिल हैं। इन बाधाओं के कारण अक्सर वेतन भुगतान में देरी होती है, जिससे श्रमिकों का मनोबल और कार्यक्रम में उनकी भागीदारी प्रभावित होती है।
- **आर्थिक निहितार्थ:** एमजीएनआरईजीए के तहत समय पर और पर्याप्त मजदूरी का भुगतान परिवारों के उपभोग, बचत व्यवहार और श्रम भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके विपरीत, मजदूरी वितरण में बार–बार देरी या अनियमितता कार्यक्रम के सुनिश्चित आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को कमजोर कर सकती है। इसलिए, एमजीएनआरईजीए की आर्थिक प्रभावशीलता का आकलन करने और नीति एवं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिला स्तर पर मजदूरी संरचना और भुगतान प्रणाली की जांच करना आवश्यक है।

एमजीएनआरईजीए के आर्थिक आयाम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के आर्थिक आयाम केवल मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं हैं। एमजीएनआरईजीए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में तरलता बढ़ाकर, परिवारों की आय को स्थिर करके और श्रम बाजार की गतिशीलता को प्रभावित करके एक व्यापक स्तर के ग्रामीण आर्थिक हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है। इसका आर्थिक महत्व अल्पकालिक आय सहायता और संपत्ति सृजन एवं अवसंरचना विकास से उत्पन्न होने वाले मध्यम से दीर्घकालिक विकासात्मक परिणामों दोनों में निहित है।

आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य से, एमजीएनआरईजीए को कृषि संकट या आर्थिक मंदी के दौर में एक प्रतिचक्रीय साधन के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक निश्चित मजदूरी दर पर रोजगार की गारंटी देकर, यह कार्यक्रम आय में अस्थिरता को कम करने, उपभोग को सुचारू बनाने और ग्रामीण परिवारों की असुरक्षा को कम करने का प्रयास करता है। हालांकि, इन आर्थिक प्रभावों का परिमाण और स्थायित्व कार्यान्वयन दक्षता, मजदूरी की नियमितता और सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जिससे जिला स्तर पर अनुभवजन्य मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है (मुनीस्वरन और सुंदरपांडियन, 2021)।

आय वृद्धि और उपभोग के प्रभाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभावों में से एक ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों, सीमांत और लघु किसानों, महिलाओं और

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

सामाजिक रूप से वंचित समूहों की आय में वृद्धि है। गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके, यह कार्यक्रम मौसमी बेरोजगारी और कृषि संकट के समय आय का एक महत्वपूर्ण पूरक स्रोत प्रदान करता है। यह अतिरिक्त आय ग्रामीण परिवारों की अनौपचारिक श्रम बाजारों, साहूकारों और शोषणकारी मजदूरी व्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करती है, जिससे उनकी आर्थिक मजबूती और आजीविका सुरक्षा में वृद्धि होती है (रामचरण, 2017)। एमजीएनआरईजीए के तहत मजदूरी आय की पूर्वानुमानित और सुनिश्चित प्रकृति लाभार्थी परिवारों के उपभोग को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित मजदूरी आय परिवारों को मौसमों के अनुसार, विशेष रूप से कृषि की कम पैदावार वाले समय में, अपने उपभोग पैटर्न को स्थिर करने में सक्षम बनाती है। अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि एमजीएनआरईजीए आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की शिक्षा, वस्त्र और बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता है। इस प्रकार के व्यय पैटर्न पोषण सेवन, स्वास्थ्य परिणामों और मानव पूंजी निर्माण में सुधार में योगदान करते हैं, विशेष रूप से गरीब परिवारों में।

घरेलू स्तर पर कल्याण में सुधार के साथ–साथ, एमजीएनआरईजीए की मजदूरी से होने वाली बढ़ी हुई खपत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गुणक प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रामीण श्रमिकों की उच्च क्रय शक्ति स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाती है, जिससे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और ग्रामीण बाजारों में सेवा प्रदाताओं को लाभ होता है। आय का यह स्थानीय संचलन ग्रामीण बाजारों को मजबूत करने में मदद करता है और जमीनी स्तर पर व्यापक आर्थिक गतिविधि में योगदान देता है। इस प्रकार, एमजीएनआरईजीए न केवल एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम भी करता है। श्रम बाजार के स्तर पर, एमजीएनआरईजीए की शुरुआत ने अकुशल शारीरिक श्रम के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करके ग्रामीण मजदूरी की गतिशीलता को प्रभावित किया है। कानूनी रूप से निर्धारित मजदूरी पर सार्वजनिक रोजगार की उपलब्धता ने ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाया है, जिससे कई क्षेत्रों में प्रचलित बाजार मजदूरी दरों पर दबाव बढ़ा है। इससे संकटग्रस्त पलायन और शोषणकारी श्रम प्रथाओं में कमी आई है, विशेष रूप से कृषि के गैर–मौसम के दौरान।

आय वृद्धि की सीमा और इसके उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न होते हैं। काम की उपलब्धता, मजदूरी भुगतान की आवृत्ति, प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय शासन क्षमता जैसे कारक परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। मजदूरी भुगतान में देरी या रोजगार की अनियमित उपलब्धता कार्यक्रम की आय–स्थिरीकरण भूमिका को कमजोर कर सकती है। ये क्षेत्रीय असमानताएं एमजीएनआरईजीए के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने और इसकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करने हेतु स्थानीय और जिला–स्तरीय आर्थिक विश्लेषण के महत्व को उजागर करती हैं।

परिसंपत्ति सृजन और ग्रामीण अवसंरचना विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) मजदूरी के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ दीर्घकालिक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली टिकाऊ और उत्पादक सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल देता है। यह अधिनियम जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण संपर्क और मृदा एवं जल प्रबंधन परियोजनाओं सहित कई प्रकार के कार्यों की अनुमति देता है। इन संपत्तियों का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना और साथ ही रोजगार सृजित करना है, जिससे अल्पकालिक आय सहायता को दीर्घकालिक विकासात्मक उद्देश्यों के साथ एकीकृत किया जा सके (फॉक्स और पोरका, 2001)।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

एमजीएनआरईजीए के तहत संपत्ति सृजन का आर्थिक महत्व मजदूरी रोजगार की अवधि के बाद भी निरंतर और अप्रत्यक्ष आजीविका लाभ उत्पन्न करने की इसकी क्षमता में निहित है। कार्यक्रम के तहत सृजित संपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

- जल संबंधी संपत्तियाँ जैसे कि चेक डैम, तालाब और सिंचाई नहरें, जो पानी की उपलब्धता में सुधार करते हैं और सूखे के प्रति संवेदनशीलता को कम करते हैं,
- भूमि विकास और मृदा संरक्षण कार्यजो भूमि की उत्पादकता को बढ़ाते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करते हैं और
- ग्रामीण संपर्क परियोजनाएं इसमें गांव की सड़कें और पैदल रास्ते शामिल हैं, जो बाजारों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करते हैं।

ये परिसंपत्तियाँ कृषि उत्पादकता में सुधार, उत्पादन लागत में कमी और फसल सघनता में वृद्धि में योगदान करती हैं। बेहतर बुनियादी ढाँचा ग्रामीण उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार पहुँच को भी सुगम बनाता है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने और आय के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलती है। इस प्रकार, एमजीएनआरईजीए के तहत परिसंपत्ति सृजन दीर्घकालिक आय सृजन और आर्थिक स्थिरता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाकर मजदूरी रोजगार का पूरक बनता है।
साथ ही, परिसंपत्ति निर्माण से प्राप्त आर्थिक लाभ नियोजन की गुणवत्ता, तकनीकी पर्यवेक्षण और सामुदायिक भागीदारी से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। सुनियोजित और उचित रखरखाव वाली परिसंपत्तियाँ दीर्घकाल में पर्याप्त लाभ प्रदान कर सकती हैं, लेकिन कई अध्ययनों में परिसंपत्तियों की कमजोर टिकाऊपन, अपर्याप्त तकनीकी इनपुट और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ सीमित समन्वय जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। ये मुद्दे अक्सर परिसंपत्तियों के उत्पादक उपयोग को सीमित करते हैं और उनके समग्र विकासात्मक प्रभाव को कम करते हैं। जिला स्तर पर एमजीएनआरईजीए के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, स्थिरता और आर्थिक उपयोगिता का आकलन ग्रामीण अवसंरचना विकास में कार्यक्रम के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिला स्तरीय विश्लेषण परिसंपत्ति नियोजन और रखरखाव में कमियों की पहचान करने में मदद करता है और संबद्ध कार्यक्रमों के साथ समन्वय में सुधार के लिए अंतदृष्टि प्रदान करता है, जिससे सतत ग्रामीण विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में एमजीएनआरईजीए की दीर्घकालिक भूमिका मजबूत होती है।

निष्कर्ष:

एमजीएनआरईजीए ने निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने, गरीबी को कम करने और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके विकेंद्रीकृत प्रणाली और संपत्ति सृजन पर केंद्रित दृष्टिकोण ने स्थानीय अवसंरचना में सुधार किया, कृषि उत्पादकता को बढ़ाया और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रवासन को नियंत्रित करने और ग्रामीण जीवनयापन को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह कृषि के मंदी वाले समय में आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। हालांकि, भुगतान में देरी, प्रशासनिक अक्षमताएँ और अवसंरचना की अपर्याप्त रखरखाव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुधारने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर एमजीएनआरईजीए की आर्थिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, ताकि इसके प्रभाव को और बेहतर तरीके से आंका जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा और अवसंरचना के लिए और अधिक सुधार किए जा सकें। एमजीएनआरईजीए का ग्रामीण प्रवासन और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव ग्रामीण भारत के भविष्य को आकार देने के लिए आवश्यक है, जिससे शहरी प्रवासन पर निर्भरता कम हो और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा मिले।

संदर्भ

चक्रवर्ती, बी. (2014). एमजीएनआरईजीए नीति और अनुप्रयोग. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी, 34(3/4), 263–300.

कूपर, के., और स्टीवर्ट, के. (2020). क्या घरेलू आय बच्चों के परिणामों को प्रभावित करती है? साक्ष्य की एक व्यवस्थित समीक्षा। बाल संकेतक अनुसंधान, 14(3), 981–105.

दास, एस. (2016). भारत में ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा पर एमजीएनआरईजीए का प्रभावः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए एक अध्ययन। ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट स्टडीज, 44(4), 420–440.

डी मेडिरोस, सी.ए., और ट्रेबैट, एन. (2022). विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आय वितरण, सौदेबाजी शक्ति और संरचनात्मक परिवर्तन। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, 56(2), 431–438.

धुलगंड, वी.जी., और कदम, आर.पी. (2020). एमजीएनआरईजीए लाभार्थियों का एमजीएनआरईजीए के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के साथ संबंधपरक विश्लेषण।

फ्लड, जेपी, और पार्कर, सी. (2014). विश्वविद्यालय साहसिक कार्यक्रमों के बारे में छात्रों की जागरूकताः प्रेरणा और बाधाओं को समझना। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स जर्नल, 38(2), 104–117.

जोशी, ए. (2013). क्या वे काम करते हैं? सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही पहलों के प्रभाव का आकलन। विकास नीति समीक्षा, 31(एस1)

ट्रिप्पल, एम., बॉमगार्टिंगर–सेरिंगर, एस., फ्रेंजेनहाइम, ए., इसाकसेन, ए., और राइपेस्टोल, जे.ओ. (2020)। हरित क्षेत्रीय औद्योगिक पथ विकास को उजागर करनाः क्षेत्रीय पूर्व शर्तें, परिसंपत्ति संशोधन और एजेंसी। जियोफोरम, 111, 189–197।

वर्षने, डी., गोयल, डी., और मीनाक्षी, जे.वी. (2018)। कृषि परिणामों और ग्रामीण श्रम बाजार पर एमजीएनआरईजीए का प्रभावः एक मिलानित डीआईडी दृष्टिकोण। इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 61(4), 589–621।

यास्मीन, के. (2020). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का ग्रामीण लोगों के बीच आजीविका सुरक्षा पर प्रभावः ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 11(1–2)